न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–51 / 15 दायर दिनांक 30.06.2015

जीसीएमएरा आई0डी0ः–2015 / 00168

1. रामफूल पुत्र स्व. कल्ला उम्र 65 साल जाति माली निवासी हजरिया की कोठी, रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौनसिटी हालवासी ग्राम जहानाबाद तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
2. गोपाल पुत्र स्व. कल्ला उम्र 50 साल
3. रामकिशन पुत्र स्व. कल्ला उम्र 42 साल
4. फत्तेसिंह पुत्र स्व. मनीराम उम्र 39 साल
5. राजेश पुत्र स्व. मनीराम उम्र 30 साल

(क्रम 2 से 5) जाति माली निवासी हजरिया की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन जिला करौली

––सायलान–05

बनाम

1. भरोसी पुत्र स्व. दिलसुख दिलसुख उम्र 65 साल
2. किशन पुत्र स्व. दिलसुख उम्र 60 साल
3. किन्दूरी पुत्र स्व. दिलयुख उम्र 50 साल
4. गिरधारी पुत्र भरोसी उम्र 40 साल
5. विजयसिंह पुत्र भरोसी उव 35 साल
6. मानसिंह पुत्र भरोसी उम्र 30 साल
7. रामदयाल पुत्र किशन उम्र 35 साल
8. ओमप्रकाश पुत्र किशन उम्र 32 साल

समस्त जाति माली निवासी हजरिया की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन जिला करौली

––गैरसायलान–08

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री संजय शर्मा वकील सायल

2. श्री रामभरोसी गोयल वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 28-2-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नं. 608 रुकवा 30 ऐयर चाही अव्वल चाके हजरिया की कोठी हिण्डौनसिटी सायलान के कब्जाकारत तया खातेदारी की भूमि है। जिसमें साथल नं. –1 लगायत 3 का 1 / 2 हिस्सा [illegible] 5 का 1 / 2 हिस्सा है। जिससे गैरसायलान का कोई संम्बन्ध [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि मुतजिकरा मद नं.–2 प्रार्थना पत्र के मध्य भाग में सायल नं. 2 ता 5 के चार मकान बने हुये हैं। जिसमें सायलान रहते हैं। शेष भूमि को सायलान काश्त करते हैं।

सायलान की उक्त भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ गैरसायलान का ना तो कोई रास्ता है। ना ही कोई आवागमन है। लेकिन सायलान की भूमि खसरा नं. 608 के लैंगवा दक्षिण की तरफ गैरसायलान की खसरा नं. 609 की भूमि है। इसलिये गैरसायलान ने बिला इस्तहकाक व बिला मर्जी सायलान की खसरा नं. 608 की दक्षिण तरफ की भूमि में सायलान की 12 फुट चौडी और 220 फुट लम्बी भूमि दबाते हुये दिनांक 26.06.15 के आस–पास दो गैह मुण्डी पाटौर डाल लीं। जिसका पता लगते ही सायलान ने गैरसायलान से कहा कि भाइयों तुमने जो हमारी खसरा नं. 608 की 12 X 220 फुट भूमि दबाते हुये पाटौर डाली है। उसे हटाओ तो गैरसायलान आजकल आजकल में उक्त पाटौरों को हटाने का आश्वासन देते हुये समय गुजारी करते रहे और पाटौर नहीं हटायी। अंत में दिनांक 26.06.15 को बरसात होते ही साचलाज में गैरसायलान से पुनः कहा कि उक्त भूमि को खाली करो इसकी हम कागत करेंगे तो गैरसायलान पाही को हटाने से इंकार हो गये। तथा आर्यन्दा उत भूमि में से नाजायज रूप से सस्ता निकालने की धमकी दी। गैरसायलान लठैत तथा झगडालू आदमी है जो सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 608 की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। तथा काश्त करने में झगडा–फसाद करते हैं। इसलिये दावा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 608 रकवा 30 ऐयर चाही अव्वल वाके हजरिया की कोठी, हिण्डौनसिटी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करें। ना ही कोई रास्ता निकालें और सायलान को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:04 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 8 की ओर से श्री रामभरोसी गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 09.08.2016 से जवाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:--

1. सायलान द्वारा उपरोक्त उनवानी दावा पेश करना स्वीकार है। शेष इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान को उक्त दावा में कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।
2. विवादित भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 608 रकबा 30 ऐयर वाके हिण्डौन होना स्वीकार है। शेष इबारत लाईल्मी अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। गलत होने के कारण अस्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि के दक्षिण को लगवा गैरसायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी का खसरा न0 609 रकबा 12 ऐयर का खेत है। तथा सायलान के उक्त खेत के दक्षिण को गैरसायलान ने अपने खेत खसरा न0 609 में 8 फिट चौडा रास्ता छोडकर अपनी भूमि एंव फसल की सुरक्षा हेतु पाटौर पोष घरों का निर्माण कर रखा है। तथा डौल के सहारे टयुब बैल का निर्माण कर रखा है। तथा जेल के सहारे ही पुराना कुआ पानी का कुण्डा बना रखा है। गैरसायलान ने सायलान की 12 फिट चौडी और 220 फिट लम्बी भूमि दबाते हुए दिनांक 26.06.2015 के आस पास कोई दो गैह मुण्डी पाटौर नहीं डाली बल्कि उक्त पाटौर गैरसायलान की अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खसरा न0 609 रकबा 21 ऐयर में डोल से अपनी भूमि मे से 8 फिट चौडी भूमि छोडकर पुरानी डली हुई है। इस मद में सायलान ने सभी बातें मनगंढत दर्ज की है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत है। स्वीकार नहीं है। सायलान का कोई प्राइमा फेसी केस साबित नहीं है। और ना ही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है।

सायल का खसरा न0 608 एवं गैरसायल का खसरा न0 609 मिलवा है। तथा सायलान के खसरा न0 608 के दक्षिण की तरफ लगवा गैरसायलान का खसरा न0 609 वाके हिण्डौन स्थित है। गैरसायलान ने सायलान के खेत की दक्षिणी डोल से 8 फिट चौडाई भूमि अपने लिये रास्ता की भूमि छोडकर बीसों साल पूर्व भूमि एवं फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:04 IST
Reason: SelfAttested

की सुरक्षा हेतु पाटौर घर बना लिये गैरसायलान द्वारा छोडी उक्त भूमि से सायलान का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन गैरसायालान ने दिनांक 23.06.2015 को जबरन पीछे से उक्त रास्ता गैरसायलान द्वारा छोडी गई रास्ता की भूमि में एक ट्रोली मिटटी डाल दी गैरसायलान ने मिट्टी डालने से मना किया तो सायलान ने गैरसायलान एवं उनकी औरतों की मारपीट की तथा उनके कपडे फाड दिये तथा बेदखल कर दिया जिसका मु0न0 539/2015 इस्तगासा के आधार से थाना हिण्डौन सिटी में दर्ज कराया गया जो मेरे तफतीश है। जिसके बचाब के लिये सायलान ने गलत तथ्य दर्ज कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2067–70 खाता संख्या 1665, नक्शा ट्रैस, खसरा गिरदावरी खरीफ संवत 2071 खसरा न0 608 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 608 रकवा 30 ऐयर चाही अव्वल वाके हजरिया की कोठी, हिण्डौनसिटी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करेने ना ही कोई रास्ता निकालनें और सायलान को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि सायल का खसरा न0 608 एवं गैरसायल का खसरा न0 609 मिलवा है। तथा सायलान के खसरा न0 608 के दक्षिण की तरफ मिलवा गैरसायलान का खसरा न0 609 वाके हिण्डौन स्थित है। गैरसायलान ने सायलान के खेत की दक्षिणी डोल से 8 फिट चौडाई भूमि अपने लिये रास्ता की भूमि छोडकर बीसों साल पूर्व भूमि एवं फसल की सुरक्षा हेतु पाटौर घर बना लिये गैरसायलान द्वारा छोडी उक्त भूमि से सायलान का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन गैरसायालान ने दिनांक 23.06.2015 को जबरन पीछे से उक्त रास्ता गैरसायलान द्वारा छोडी गई रास्ता की भूमि में एक ट्रोली मिटटी डाल दी गैरसायलान ने मिट्टी डालने से मना किया तो सायलान ने गैरसायलान एवं उनकी औरतों की मारपीट की तथा उनके कपडे फाड दिये तथा बेदखल कर दिया जिसका मु0न0 539/2015 इस्तगासा के आधार से थाना हिण्डौन सिटी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

कराया गया जो मेरे तफतीश है। जिसके बचाब के लिये सायलान ने गलत तथ्य दर्ज कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी 2067–70 खाता संख्या 1665, नक्शा ट्रैस, खसरा गिरदावरी खरीफ संवत 2071 खसरा न0 608 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण उभयपक्ष में डौल मेड से सबंधित विवाद है, एवं मुल दावा बेदखली से सबंधित है, इसलिय गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नही होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-2-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested